

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन-भोपाल-462004

क्रमांक/डी-15/44/2017/14-3 भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2017
प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।


विषय:- भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत दिनांक 15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2017 के मध्य पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित मण्डी प्रांगण में विक्रय पंजीयन उपरान्त कराने की स्थिति में प्रक्रिया निर्धारण बावत् ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक/डी-15/44/2017/14-3 भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर, 2017.

राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त संदर्भित आदेश की कण्डिका 3.2 में विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

“ ऐसे पंजीकृत किसानों को (जिनके द्वारा 15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2017 को भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराया गया है) अनुज्ञप्तिधारी केता व्यापारियों द्वारा RTGS/ NEFT में रूपये 10,000 अथवा विक्रय किए गए कृषि उत्पाद की राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा । सम्पूर्ण नगद भुगतान अथवा चैक से किया गया भुगतान भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत मान्य नहीं होगा ।”

2/ उपरोक्तानुसार संशोधन के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।


(बी.एस.धुर्वे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

.....2/

पृ0कमांक / डी-15 / 44 / 2017 / 14-3 भोपाल, दिनांक 2\ नवम्बर 2017
प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ ।
2. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल ।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल ।
6. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल ।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल ।
12. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।
14. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल ।
15. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
16. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
17. कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
18. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल ।
19. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र. ।
20. आयुक्त (संस्थागत वित्त), म.प्र. भोपाल ।
21. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाहियों हेतु प्रेषित ।

(3)

22. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।
 23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.को आवश्यक व्यवस्थाएँ हेतु अंकित ।
 24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल ।
 25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
 26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल ।
 27. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल ।
 28. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल ।
 29. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल ।
 30. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र-एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
 31. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय ।
 32. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय ।
 33. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग